

कार्यालय सिविल जज, रानीखेत

पत्रांक 26 / 2022

दिनांक 17-06, 2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :- जनपद अल्मोड़ा में न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) रानीखेत, अल्मोड़ा के भवनों के निर्माण हेतु 0.98 हे0 वन भूमि का न्याय विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online No. FP/UK/other/150277/2021)

सन्दर्भ :- कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक 2101 / FP/UK/ROAD/150277/2021 दिनांक 04.02.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि नोडल अधिकारी, देहरादून द्वारा विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में 6 बिन्दुओं पर आपत्ति लगायी गयी है, जिनका निराकरण ऑन लाईन कर प्रेषित की जा रही है जो निम्नवत है :-

क्र.सं.	आपत्तियाँ	निराकरण
1	The State Govt has proposed the infrastructure (non site specific projects) on reserved forest area. Though few document have been provided to justify the area for the said activity but appear incomplete. The state Government may provide requisite documents and clarification in view of guideline para 1.15 of the handbook establishing its inescapability for locating the project in reserved forest area.	माननीय जनपद न्यायाधीश, अल्मोड़ा महोदय के पत्रांक 407 / नवम-01-2010 दिनांक 27.04.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त भूमि वादकारियों के आवागमन हेतु उक्त भूमि में वृक्षों की संख्या कम होने, रोड के समीप होने, मुख्य बाजार व मुख्य सड़क से लगभग 1.00 किमी. की परिधि में स्थित होने से भूमि न्यायालय निर्माण हेतु उपयुक्त है।
2	The layout and component wise breakup for the proposed work should be more precise in terms of purpose such as set back area, open area for greenery, parking, other ancillary activity, etc. State Government may to the needful in this regard.	न्यायालय भवन का ले-आउट तथा ऑन लाईन पार्ट-1 के बिन्दु संख्या B-2.4 में कम्पोनेंट वाईज ब्रेकअप के अन्तर्गत set back area, open area for greenery, parking इत्यादि अंकित कर दिया गया है।
3	The State Govt. may clarify, if there are any norms justifying the minimum area requirement for such infrastructure and proposed activity from the central government or the State Gove. The minimum area requirement is needed to be justified.	माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, अल्मोड़ा के पत्रांक 407 / नवम-01-2010 दिनांक 27.04.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त भूमि में दो न्यायालय भवन, वादकारियों, अधिकारियों / कर्मचारियों / अधिवक्तागण हेतु पार्किंग, अधिवक्तागण हेतु बार भवन, कीच सुविधा, Vulnerable Witness Court आदि सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए 0.98 हे0 भूमि चयनित की गयी है।
4	The State Govt. may provide plantation scheme for 1960 trees or 1.96 ha area for CA whichever is convenient.	1.96 हे0 क्षेत्रफल में 1960 वृक्षों की वृक्षारोपण योजना संख्या Additional Information में अपलोड कर दी गयी है।
5	State Govt may submit/upload the KML file of the area selected for plantation of 1960 trees.	वन भूमि की मॉग 1.00 हे0 से कम होने के कारण वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल की के0एम0एल0 Online Portal पर अपलोड नहीं की जा सकती है। जिस कारण वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का गूगल मैप तथा जियो रिफरेंस मैप तैयार कर Additional Information में अपलोड कर दी गयी है।

क्रमशः पेज-2 पर

6	The calculation of NPV may be calculated according the current rate and revised NPV calculation sheet on new rates is require to be uploaded.	पुनरीक्षित दरों के आधार पर एन0पी0वी0 की धनराशि की आंकलन सीट Additional Information में अपलोड कर दी गयी है।
---	---	--

अतः अनुरोध है कि भवन निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति निर्गत करने हेतु अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

Arvind
17/06/2022
सिविल जज
रानीखेत

प्रेषक,

जनपद न्यायाधीश,
अल्मोड़ा।

प्रेषित,

तकनीकी अधिकारी,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय
देहरादून।

संख्या 407/नवम-01-2010, दिनांक 27 अप्रैल, 2022

विषय:- जनपद अल्मोड़ा में न्यायालय सिविल जज जू0डि0 रानीखेत अल्मोड़ा के भवनों के निर्माण हेतु 0.98 है0 वन भूमि का न्याय विभाग को प्रत्यावर्तन (FP/UK/Others/150277/2021)

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा लगाई गई आपत्ति बिन्दु संख्या 1 व 3 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि-

बिन्दु संख्या-1 के सम्बन्ध में अवगत कराया जाना है कि उक्त भूमि वादकारियों के आवगमन हेतु, उक्त भूमि में वृक्षों की संख्या कम होने, रोड के समीप होने, मुख्य बाजार व मुख्य सड़क मार्ग से लगभग 1 कि0मी0 की परिधि में स्थित होने से भूमि न्यायालय निर्माण हेतु उपयुक्त है।

बिन्दु संख्या-2 के सम्बन्ध में अवगत कराया जाना है कि उक्त भूमि में दो न्यायालय भवन, वादकारियों, अधिकारियों/कर्मचारियों/अधिवक्तागण हेतु पार्किंग, अधिवक्तागण हेतु बार भवन, क्रीच सुविधा, Vulnerable Witness Court आदि सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुये 0.98 है0 भूमि चयनित की गई है।

अतः आप यथाशीघ्र उक्त भूमि अन्तरण की प्रक्रिया को पूर्ण करने का कष्ट करें।

दिनांक 27.04.2022

भवदीय,

(मलिक मज़हर सुलतान)
जनपद न्यायाधीश, अल्मोड़ा।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. माननीय जिलाधिकारी अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा
3. अधिशाषी अभियन्ता प्रान्तीन खण्ड, लो0नि0वि0 रानीखेत

जनपद न्यायाधीश, अल्मोड़ा।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

परियोजना का नाम — न्यायालय सिविल जज जू0 डि0 रानीखेत के भवनो का निर्माण ।

वृक्षारोपण स्थल का नाम —चिलियानौला कक्ष संख्या 6 ।

क्षेत्रफल — 1.96 है0

रोपित की जाने वाली पौधों की संख्या — 1960 पौध ।

जी0पी0एस0— N-29°31'15.14"E-79°24'42.61"

क्र0सं0	कार्य का नाम	इकाई	मात्रा	इकाई दर (रु0)	योग
1	2	3		4	5
1	सर्वे एवं सीमांकन	है0	1.96	147.00	288.12
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	है0	1.96	887.00	1738.52
3	अग्रिम दीवालबन्दी (फैन्सिंग) 365 Mx0.45x1.00	164.25cum.		478.00	78511.5
4	मृदा एवं जल संरक्षण एवं अन्य अभियांत्रिक कार्यो हेतु प्राविधान (अवरोधक निर्माण, वाटर हार्वेस्टिंग टैंक)	है0	1.96	11700.00	22932.00
5	गडढा खुदान (0.30x0.30x0.45) 1960 गडढे	सं0	1960	11.14	21834.40
6	निरीक्षण बटिया बनाना	है0	1.96	737.00	1444.52
7	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष) 1960 पौध	सं0	1960	8.70	17052.00
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयंत्र, औजार तेज करना आदि	है0	1.96	L.S	784.00
	योग — प्रथम चरण —			योग	144585.06

द्वितीय चरण

1	गडढा भरान कार्य (0.30x0.30x0.45)	सं0	1960	1.75	3430.00
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष) 1960 पौध	पौध	1960	1.75	3430.00
3	पौध ढुलान कार्य 1960 पौध	पौध	1960	9.70	19012.00
4	पौधारोपण व थावलाबन्दी 1960 पौध	सं0	1960	3.13	6134.8
5	निराई गुड़ाई व मल्लिचंग (दो बार)	प्रति पौध	1960	1.15	4508.00
6	खाद व दवा पर व्यय	प्रति पौध	1960	0.32	627.20
7	प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण की देख — रेख व रखरखाव पर व्यय 8 Months अगस्त से मार्च तक	है0	1.96	7235.00	14180.6
8	वृक्षारोपण क्षेत्र अन्तर्गत				
	8.1 सूखे घास फूस व ज्वलनशील पदार्थ को काटना हटाना	है0	1.96	350.00	686.00
	8.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ करना	है0	1.96	225.00	441.00
	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना				
	अ — प्रशिक्षण	है0	1.96	400.00	784.00
	ब — प्रोत्साहन	है0	1.96	200.00	392.00
9	अन्य व्यय साइन बोर्ड,पौध ढुलान हेतु टोकरी,सुतली आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचाव हेतु पोलीथीन सीट क्रय, फोटोग्राफी, फील्ड स्तरीय कार्यो का प्रचार प्रसार डाक्यूमेंटेशन आदि कार्य	है0	1.96	700.00	1372.00
	योग — द्वितीय चरण —			योग	54996.8
	कुल योग — प्रथम व द्वितीय चरण —				199581.86

तृतीय चरण

1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष में रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (10 है0 के आधार पर 9044.00X12माह प्रति 10 है0=10852.00	है0	1.96	10852.00	21269.92
2	वृक्षारोपण क्षेत्र अन्तर्गत				
	2.1 सूखे घास फूस व ज्वलनशील पदार्थ को काटना हटाना	है0	1.96	350.00	686.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ करना	है0	1.96	225.00	441.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना				
	अ – प्रशिक्षण	है0	1.96	400.00	784.00
	ब – प्रोत्साहन	है0	1.96	200.00	392.00
	योग – तृतीय चरण –			योग	23572.92

चतुर्थ चरण

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	है0	1.96	10852.00	21269.92
2	वृक्षारोपण क्षेत्र अन्तर्गत				
	2.1 सूखे घास फूस व ज्वलनशील पदार्थ को काटना हटाना	है0	1.96	350.00	686.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ करना	है0	1.96	225.00	441.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना				
	अ – प्रशिक्षण	है0	1.96	400.00	784.00
	ब – प्रोत्साहन	है0	1.96	200.00	392.00
	योग – चतुर्थ चरण –			योग	23572.92

पंचम चरण

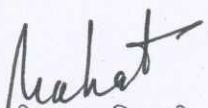
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	है0	1.96	10852.00	21269.92
2	वृक्षारोपण क्षेत्र अन्तर्गत				
	2.1 सूखे घास फूस व ज्वलनशील पदार्थ को काटना हटाना	है0	1.96	350.00	686.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ करना	है0	1.96	225.00	441.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना				
	अ – प्रशिक्षण	है0	1.96	400.00	784.00
	ब – प्रोत्साहन	है0	1.96	200.00	392.00
	योग – पंचम चरण –			योग	23572.92

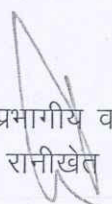
छठा चरण

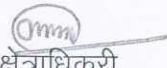
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	है०	1.96	10852.00	21269.92
2	वृक्षारोपण क्षेत्र अन्तर्गत				
	2.1 सूखे घास फूस व ज्वलनशील पदार्थ को काटना हटाना	है०	1.96	350.00	686.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ करना	है०	1.96	225.00	441.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना				
	अ - प्रशिक्षण	है०	1.96	400.00	784.00
	ब - प्रोत्साहन	है०	1.96	200.00	392.00
	योग - छठा चरण -			योग	23572.92

सातवा चरण

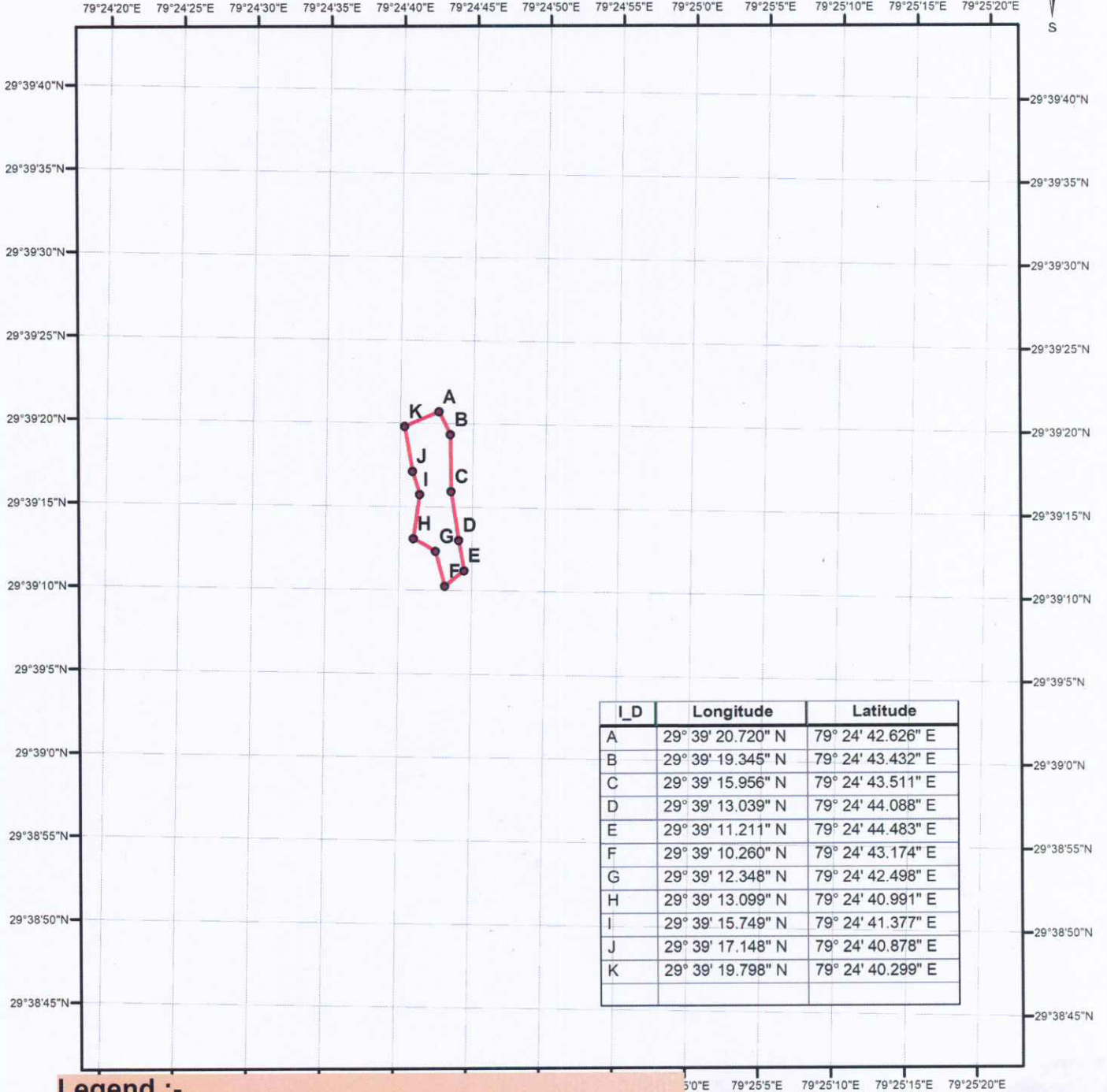
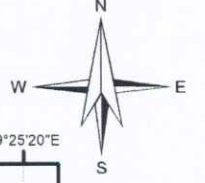
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	है०	1.96	10852.00	21269.92
2	वृक्षारोपण क्षेत्र अन्तर्गत				
	2.1 सूखे घास फूस व ज्वलनशील पदार्थ को काटना हटाना	है०	1.96	350.00	686.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ करना	है०	1.96	225.00	441.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना				
	अ - प्रशिक्षण	है०	1.96	400.00	784.00
	ब - प्रोत्साहन	है०	1.96	200.00	392.00
	योग -			योग	23572.92
				प्रथम चरण	144585.06
				द्वितीय चरण	54996.8
				तृतीय चरण	23572.92
				चतुर्थ चरण	23572.92
				पंचम चरण	23572.92
				छठा चरण	23572.92
				सातवा चरण	23572.92
				कुल योग	317446.46


प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोडा वन प्रभाग अल्मोडा


उप प्रभागीय वनाधिकारी
रानीखेत


वन क्षेत्राधिकारी
रानीखेत राजि।

न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) रानीखेत अल्मोड़ा के भवनों का निर्माण



Legend :-

• GPS

CA Area for Proposed Judiciary campus at Ranikhet Chilianaula

वन क्षेत्रधिकारी रानीखेत
अल्मोड़ा वन प्रभाग

प्रजापति वनारण्यकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

Name of Project:- Construction of Judiciary Building in Ranikhet

Map showing proposed Plantation area for Compensatory Afforestation



वन संत्रापकारी रानीखेत
सन्तानोका वन प्रमाण

Ranikhet
प्रमाणिक वनसंरक्षक
सन्तानोका वन प्रमाण सन्तानोका

परियोजना का विवरण - न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) रानीखेत, अल्मोड़ा के भवनों का निर्माण

एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है -

1. ईको-क्लास श्रेणी - V
2. हरियाली का घनत्व - 0.4
3. एन०पी०वी० की दर प्रति हे० - 12,92,850.00
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल - 0.980 हे०
5. कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि - 12,66,993.00


प्रजातीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा